

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर

एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 03/2023
3. उन्वान : सरकार जरिये श्री दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

–आवेदक

बनाम

श्री मोहनलाल कुमावत पुत्र श्री पन्नालाल कुमावत (विक्रेता)
मैसर्स–पन्ना मिष्ठान भण्डार, रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने,
जोबनेर, जिला–जयपुर–303328
निवासी–45, इन्द्रा कॉलोनी, जोबनेर, जिला– जयपुर।

–अभियुक्त

4. निर्णय दिनांक : 27.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री जितेन्द्र शर्मा अप्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

निर्णय


परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii)/51, 54 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक श्री दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने आवेदन पत्र जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 02 (ii)/51, 54 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.01.2023 को दोपहर 2.00 पी.एम. पर मैसर्स पन्ना मिष्ठान भण्डार, रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने, जोबनेर जिला–जयपुर पर पहुँचने पर मोहनलाल कुमावत पुत्र श्री पन्नालाल कुमावत उपस्थित थे। मोहनलाल कुमावत को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर मोहनलाल कुमावत ने स्वयं को अपनी फर्म का विक्रेता होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मोहनलाल कुमावत से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा, जिस पर उन्होंने मौके पर खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स पन्ना मिष्ठान भण्डार, रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने जोबनेर, जिला–जयपुर पर विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर वहाँ स्थित एक काउन्टर में लोहे की 2 ट्रे में लगभग 20 किलोग्राम मिल्क केक (मावा मिठाई) आम जनता को विक्रय हेतु एवं मिठाइयाँ बनाने हेतु रखा हुआ था जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वारंते नमूना जांच हेतु 2 किलोग्राम मिल्क केक (मावा मिठाई) खरीदकर उसकी कीमत 400/-रुपये विक्रेता मोहनलाल कुमावत को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान कानाराम प्रजापत एवं नरेन्द्र सिंह राठौड के हस्ताक्षर करवाये एवं तर्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर

हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मोहनलाल कुमावत ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता मोहनलाल कुमावत को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दो किलोग्राम मिल्क केक (मावा मिठाई) को एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की चौड़े मुंह की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा दो किलोग्राम मिल्क केक (मावा मिठाई) को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40-40 बूँदें डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-2902 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. AN-2902 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद प्रत्येक से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं छ: की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/77 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/196/एक्ट/2023/265 दिनांक 06.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्क केक (मावा मिठाई) सब-स्टैण्डर्ड तथा Containing extraneous matter (Starch) पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष दिनांक 19.04.2023 को प्रस्तुत की जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/171 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि मोहनलाल कुमावत पुत्र श्री पन्नालाल कुमावत (विक्रेता) मैसर्स- पन्ना मिष्ठान भण्डार, रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने, जोबनेर, जिला-जयपुर द्वारा सब-स्टैण्डर्ड मिल्क केक (मावा मिठाई) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51. 54 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।



अतिरिक्त कलकत्ता
(तारीख) जयपुर

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने जवाब किया जिसमें अंकित किया गया है कि अभियुक्त को आवेदक द्वारा कोई परिचय पत्र नहीं दिखाया गया था। आवेदक द्वारा जो कार्यवाहियां की गईं तथा जो दस्तावेजात तैयार किये गये उन्हें गिन जवाबदाता को नहीं समझाया गया था। आवेदक द्वारा कार्यवाहियों के संबंध में गिन जवाबदाता को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी और ना ही कुछ समझाया व बताया गया था। आवेदक द्वारा गिन जवाबदाता को कुछ भी समझाया या बताया नहीं गया था और ना ही गिन जवाबदाता को इन तथ्यों की कोई जानकारी है। गिन जवाबदाता द्वारा उक्त मिल्क केक को अच्छी क्वालिटी का जानकर खरीदा गया था तथा गिन जवाबदाता द्वारा इसमें अन्य कोई पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। उक्त स्थिति में गिन जवाबदाता मिल्क केक (मावा मिठाई) के सब-स्टैंडर्ड के होने के तथ्य से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होता है।

विशेष विवरण में अंकित किया गया है कि गिन जवाबदाता कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है। आवेदक द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही एवं बनाई गई फर्द रिपोर्ट के संबंध में गिन जवाबदाता को ना तो कुछ समझाया गया था और ना ही यह बताया गया था कि उक्त दस्तावेजात में क्या इबारतें लिखी गई थीं। गिन जवाबदाता द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं किया जाता है बल्कि उक्त मिल्क केक को अच्छी क्वालिटी का जानकर खरीदा गया था तथा गिन जवाबदाता द्वारा इसमें कोई पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। यदि उक्त मिल्क केक उस गुणवत्ता का नहीं है तो इसमें मिल्क केक निर्माता का ही दोष है ना कि गिन जवाबदाता (अभियुक्त) का। जिससे स्पष्ट है कि गिन जवाबदाता खाद्य कारोबारकर्ता की श्रेणी में नहीं आता है। वरन् गिन जवाबदाता तो स्वयं उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। उक्त मिल्क केक विक्रय हेतु नहीं था वरन् जवाबदाता द्वारा तो मिल्क केक को अपने परिवार के कार्यक्रम के लिये खरीदा गया था जो कि गिन जवाबदाता के परिवार में कार्यक्रम में काम लेने के लिये था।

अन्त में निवेदन किया गया है कि गिन जवाबदाता का जवाब आवेदन न्यायहित में स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जावे। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया है कि दिनांक 25.01.2023 को दौराने निरीक्षण मैसर्स पन्ना मिष्ठान भण्डार पर स्थित एक काउन्टर में लोहे की 2 ट्रे में लगभग 20 किलोग्राम मिल्क केक (मावा मिठाई) आम जनता को विक्रय हेतु एवं मिठाइयां बनाने हेतु रखा हुआ था जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 2 किलोग्राम मिल्क केक (मावा मिठाई) खरीदकर उसकी कीमत 400/-रुपये विक्रेता मोहनलाल कुमावत को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की। उक्त नमूने को नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त AN-2902 खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 06.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्क केक (मावा मिठाई) सब-स्टैंडर्ड तथा Containing extraneous matter (Starch) पाया गया। चूंकि अभियुक्त मोहनलाल कुमावत द्वारा सब-स्टैंडर्ड मिल्क केक (मावा मिठाई) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 54 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।


अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो डीप फ्रीज़ से मिल्क केक (मावा मिठाई) का नमूना जाँच हेतु लिया गया है वो नियमानुसार नहीं लिया गया है। जिस कारण नमूना सब स्टैण्डर्ड नहीं माना जा सकता है। आवेदक द्वारा जो कार्यवाहियां की गईं तथा जो दस्तावेजात तैयार किये गये उन्हें अप्रार्थी को नहीं समझाया गया था। अप्रार्थी द्वारा मिल्क केक का निर्माण नहीं किया जाता है बल्कि मिल्क केक को अच्छी क्वालिटी का जानकर खरीदा गया था। मिल्क केक विक्रय हेतु नहीं था वरन् जवाबदाता द्वारा तो मिल्क केक को अपने परिवार के कार्यक्रम के लिये खरीदा गया था जो कि मिन जवाबदाता के परिवार में कार्यक्रम में काम लेने के लिये था।

हमने आवेदन पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। साथ ही दस्तावेजात पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। जिससे सुस्पष्ट है कि अभियुक्त को कार्यवाही के विषय में समझाया गया। इस पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सहमत होकर कार्यवाही से संतुष्ट होकर ही हस्ताक्षर किये गये जाहिर हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट सं. L.S./190/Act/2023/265 दिनांक 06.02.2023 के अनुसार The sample of "Milk Cake Sweets (Mawa Mithai)" bearing Code No. and Sr. No. AN-2902 is Sub-standard as the extracted fat does not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety and Standards of Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011. **The Sample is also food containing extraneous matter (Starch)** under section 3(1) (i) of Food Safety and Standard Act, 2006.

जिससे सुस्पष्ट है कि मैसर्स पन्ना मिष्ठान भण्डार से विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्क केक (मावा मिठाई) सब-स्टैण्डर्ड तथा Containing extraneous matter (Starch) पाया गया। अभियुक्त द्वारा सब-स्टैण्डर्ड मिल्क केक (मावा मिठाई) का विक्रय करने हेतु विक्रेता जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अभियुक्त मोहनलाल कुमावत द्वारा सब-स्टैण्डर्ड मिल्क केक (मावा मिठाई) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अभियुक्त मोहनलाल कुमावत पर 5000/-रुपये (राशि अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कर्वा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला फोरेंसिक एंड
अति. जिल्हा मॉजिस्ट्रेट
(तृतीय), जयपुर